



राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन
८ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक परिसर, अरेरा हिल्स,
भोपाल, मध्यप्रदेश

क्र./एन.एच.एम./CHN/2019/७५०८
प्रति,

भोपाल, दिनांक // 2019 ०८/०७/१९

- समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
मध्यप्रदेश।

विषय:- समन्वित स्वास्थ्य गतिविधि “एनीमिया मुक्त भारत रणनीति” (AMB) / “नेशनल आयरन प्लस इनिशिएटिव” (NIPI) / “साप्ताहिक आयरन फॉलिक एसिड अनुपूरण कार्यक्रम” (WIFS) के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु दिशा-निर्देश।

विषयांतर्गत लेख है कि राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 4 (NFHS-4) के अनुसार प्रदेश में लगभग 69 प्रतिशत 5 वर्ष तक की आयु के बच्चे, 52.5 प्रतिशत किशोरी बालिकायें (15 से 19 वर्ष) एवं 25.5 प्रतिशत किशोरवय बालक एनीमिया से ग्रसित हैं। विगत 10 वर्षों में प्रदेश में अधिकांश उम्र समूहों में एनीमिया के प्रतिशत की मात्रा में अत्यंत कम गिरावट दर्ज हुई है। आयरन की कमी से होने वाले एनीमिया के कारण विद्यार्थियों में एकाग्रता, कार्यक्षमता, मानसिक क्षमता में कमी, शाला में उपस्थिति पर विपरीत प्रभाव, थकान आदि के लक्षण संभव हैं।

भारत सरकार द्वारा एनीमिया की व्यापकता को प्रभावी रूप से कम करने हेतु राष्ट्रीय स्तर पर एक बहुआयामी रणनीति “एनीमिया मुक्त भारत” की परिकल्पना की गई है, जिसके अंतर्गत $6 \times 6 \times 6$ रणनीति के तहत 6 माह से 60 माह के बच्चों, 5–10 वर्षीय बच्चों, 10–19 वर्षीय बालक-बालिकाओं में आयरन फॉलिक एसिड अनुपूरण किया जा रहा है। उक्त रणनीति का क्रियान्वयन सघन नेशनल आयरन प्लस इनिशिएटिव कार्यक्रम के अंतर्गत (I-NIPI) स्वास्थ्य विभाग द्वारा स्कूल शिक्षा विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग तथा आदिम जाति कल्याण विभाग के समन्वय से किया जा रहा है।

“एनीमिया मुक्त भारत” रणनीति के क्रियान्वयन के संबंध में निम्नानुसार निर्देश दिये जाते हैं :-

- एनीमिया मुक्त भारत रणनीति के अंतर्गत स्कूल शिक्षा के अंतर्गत पंजीकृत समस्त शासकीय/शासकीय अनुदान प्राप्त प्राथमिक/मिडिल/हाई/हायर सेकेण्डरी शालाओं में अध्यनरत कक्षा 1 से कक्षा 12 के 5–19 वर्षीय छात्र-छात्राओं को साप्ताहिक (प्रत्येक मंगलवार को) आई.एफ.ए. गोली का अनुपूरण एवं महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत आंगनवाड़ी केन्द्रों में पंजीकृत 6 माह से 59 माह के बच्चों तथा 10 से 19 वर्षीय किशोरवयों में क्रमशः आई.एफ.ए. सिरप एवं गोली का अनुपूरण सुनिश्चित किया जाये।
- कक्षा 1 से कक्षा 5 एवं कक्षा 6 से कक्षा 12 के समस्त छात्र-छात्राओं को क्रमशः आई.एफ.ए. की गुलाबी गोली एवं आई.एफ.ए. की नीली गोली सप्ताह में 1 बार (प्रत्येक मंगलवार को) समस्त शासकीय/शासकीय अनुदान प्राप्त प्राथमिक शालाओं में खिलाई जाये।
- इसी प्रकार आंगनवाड़ी केन्द्रों पर 6 माह से 59 माह के बच्चों, 5 से 10 तथा 10 से 19 वर्षीय शालात्यागी/शालाअप्रवेशी किशोरवयों को क्रमशः आई.एफ.ए. सिरप (प्रत्येक मंगलवार एवं शुक्रवार) एवं आई.एफ.ए. की गुलाबी गोली तथा आई.एफ.ए. की नीली गोली सप्ताह में 1 बार (प्रत्येक मंगलवार को) आशा कार्यकर्ता के सहयोग से आंगनवाड़ी कार्यकर्ता द्वारा खिलाई जाये।

- विभिन्न हितग्राही समूहों में निर्धारित मानक अनुसार आई.एफ.ए. डोज़ की प्रदायगी शासकीय/शासकीय अनुदान प्राप्त प्राथमिक/मिडिल/हाई/हायर सेकेण्डरी शालाओं एवं आंगनवाड़ी केन्द्रों के माध्यम से निम्नानुसार किया जाये:-

क्र	आयु समूह	आई.एफ.ए. का डोज	सेवा प्रदायगी
1	6 माह से 59 माह वर्ष के बच्चे	1ml आई.एफ.ए. सिरप सप्ताह में 2 बार मंगलवार एवं शुक्रवार (20 एम.जी.एलिमेंटल आयरन एवं 0.1 एम.जी. फोलिक एसिड)	• आशा कार्यकर्ता द्वारा प्रति मंगलवार एवं शुक्रवार को आंगनवाड़ी केन्द्र पर एकत्रित हितग्राहियों में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता द्वारा आशा कार्यकर्ता के सहयोग से प्रदाय की जाये।
2	कक्षा 1 से कक्षा 5 के बच्चे (5 वर्ष से 9 वर्ष के बच्चे)	1आई.एफ.ए. गुलाबी गोली प्रति सप्ताह (45 एम.जी.एलिमेंटल आयरन एवं 0.4 एम.जी. फोलिक एसिड)	• प्रत्येक मंगलवार को शासकीय/शासकीय अनुदान प्राप्त प्राथमिक शालाओं में शिक्षकों के माध्यम से एवं आंगनवाड़ी केन्द्रों पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के माध्यम से भोजन उपरान्त प्रदाय की जाये।
3	कक्षा 6 से कक्षा 12 के किशोरवय (10 से 19 वर्ष के किशोरवय)	1आई.एफ.ए. नीली गोली प्रति सप्ताह (60 एम.जी.एलिमेंटल आयरन एवं 0.5 एम.जी. फोलिक एसिड)	• प्रत्येक मंगलवार को शासकीय/शासकीय अनुदान प्राप्त मिडिल/हाई/हायर सेकेण्डरी शालाओं में समस्त किशोरवय बालक-बालिकाओं को शिक्षकों के माध्यम से एवं आंगनवाड़ी केन्द्रों पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के माध्यम से भोजन उपरान्त प्रदाय की जाये।

आंगनवाड़ी कार्यकर्ता द्वारा आई.एफ.ए. सिरप अनुपूरण हेतु ऑटोडिस्पेन्सर के उपयोग की प्रक्रिया –

- आई.एफ.ए. सिरप (50ml) बोतल के ऊपरी भाग में लगा प्लास्टिक का कटोरी नुसा केप ऑटोडिस्पेन्सर है।
- आई.एफ.ए. सिरप बोतल से 1ml दवाई पिलाने हेतु बोतल के ऊपरी भाग में लगे प्लास्टिक के ऑटोडिस्पेन्सर का उपयोग करे।
- आई.एफ.ए. सिरप बोतल के ढक्कन को खोलने के पश्चात बोतल को धीमें से दबाते हुये बोतल में लगे ऑटोडिस्पेन्सर को ऊपर तक पूरा भरे।
- दवाव हटाने पर ऑटो डिस्पेन्सर में केवल 1 एम.एल. आई.एफ.ए. सिरप ही शेष रहेगा जिसे ऊपर से हर हितग्राही बच्चे को पिलाया जाये।

- आई.एफ.ए.गोली के अनुपूरण के कुछ सामान्य साईड इफेक्ट्स (जैसे- उल्टी, जी घबराना, काली टट्टी होना, जीभ काली होना आदि) हो सकते हैं। यह आयरन अवशोषण के लक्षण है जो सीमित समय के लिये ही कुछ हितग्राहियों में दिखाई देते हैं।
- गंभीर कमजोरी (बुखार, डायरिया, निमोनिया आदि), अति गंभीर कृपोषण, हीमोग्लोबिनोपैथी/बार-बार ब्लड ट्रान्सफ्यूजन के इतिहास की स्थिति में आयरन अनुपूरण न किया जावे एवं उपयुक्त उपचार हेतु समझाइश दी जाये।

- आर.बी.एस.के. टीम द्वारा मिडिल/हाई/हायर सेकेण्डरी शालाओं में अध्यनरत कक्षा 6 से कक्षा 12 के छात्र-छात्राओं की वर्ष में एक बार एनिमिया की जॉच की जावे एवं एनिमिया प्रबंधन प्रोटोकॉल के अनुसार उपयुक्त उपचार एवं फालोअप प्रदान किया जाये। एनिमिया प्रबंधन प्रोटोकॉल का विस्तृत विवरण परिशिष्ट 1 पर संलग्न हैं।
- एनिमिया के गैर पोषक कारणों जैसे मलेरिया के निवारण हेतु मलेरिया बाहुल्य क्षेत्रों में मलेरिया एवं एनिमिया की जॉच साथ-साथ की जावे, उदाहरणार्थ – वह लाभार्थी जिन्हें हाल ही में बुखार की शिकायत हुई है और एनिमिया के लिये जिनकी हिमोग्लोबिन जॉच की गई है उनकी मलेरिया की जॉच भी की जाये। साथ ही मलेरिया की जॉच किये जा रहे मरीजों की एनिमिया की जॉच भी अनिवार्यतः की जाये।
- बारिश के मौसम के पहले और बाद में विद्यालय/आंगनवाड़ी परिसर/आवासीय क्षेत्रों में एन.वी.बी.डी.सी. पी. के दिशानिर्देशानुरूप उचित कीटनाशक का इंडोर रेसीडुअल छिड़काव व उपयोग सुनिश्चित किया जाये।
- ज्ञातव्य हो कि Soil Transmitted Helminthiasis (STH) प्रीवलेन्स सर्वेक्षण अनुसार प्रदेश में वर्म लोड मात्र 20 प्रतिशत से कम है तथा विश्व स्वास्थ्य संगठन अनुसार 20 प्रतिशत से कम वर्म लोड होने पर कृमिनाशक गोली (एल्बेन्डाज़ोल—Chewable 400mg) वर्ष में 1 बार निश्चित दिवस—नेशनल डिवर्मिंग डे के अन्तर्गत शासकीय/शासकीय अनुदान प्राप्त/अशासकीय/अशासकीय अनुदान प्राप्त, केन्द्रीय शालाओं के माध्यम से कराया जाये।
- पोषण एवं एनिमिया संबंधी वार्तालाप हेतु आवश्यकता अनुसार प्रयोग में लाने हेतु सम्वाद पैकेज एनिमिया मुक्त भारत के पॉर्टल www.anemiamuktibharat.info से डाउनलोड किये जा सकते हैं।

एनिमिया मुक्त भारत रणनीति में स्वास्थ्य विभाग का दायित्व :-

- स्वास्थ्य विभाग उपरोक्त एनिमिया मुक्त भारत/निपी/विफ्स कार्यक्रम के संचालन हेतु नोडल विभाग है अतएव हितग्राही समूहों के लिये आवश्यक आई.एफ.ए. सिरप, गुलाबी, नीली गोलियों का क्रय एवं निर्बद्ध उपलब्धता, अनुपूरण की निगरानी तथा समय-सीमा में शिक्षा विभाग के समन्वय से रिपोर्टिंग प्राप्त करने हेतु उत्तरदायी है।
- औषधि प्रकोष्ठ द्वारा आई.एफ.ए. सीरप एवं आई.एफ.ए. गोलियों के उपार्जन हेतु निम्न L1 प्रदायकर्ता से क्रय अनुबंध निम्नानुसार किया गया है :—

Old FMR Code/ Drug Code	New FMR Code/ Drug Code	Name of Drug	Unit	Approved Rate (In Rs.)	Supplier Name	Contract Validity
<u>B.16.2.6.1/</u> <u>110410/</u> <u>(EDL.0410)</u>	<u>6.2.2.3/</u> <u>110410/</u> <u>(EDL.0410)</u>	Iron Folic Acid Syrup – 50 ml bottle with dropper Each 1 ml contain 20mg elemental iron and 100mcg folic acid IP	50 ml Bottle	7.90+12%GST =8.84/-	Nestor Pharma. Pvt. Ltd.	Sep 2019

- आशा कार्यकर्ता द्वारा समस्त शालाओं एवं आंगनवाड़ी केन्द्रों से आई.एफ.ए. अनुपूरण की रिपोर्ट संकलित कर प्रत्येक माह के 25–30 तारीख तक आशा सहयोगिनी को प्रदान की जाये।
- आशा कार्यकर्ता द्वारा प्राप्त समस्त मासिक रिपोर्ट, आशा सहयोगिनी द्वारा संलग्न प्रपत्र (परिशिष्ट 2) में संकलित कर प्रत्येक माह की 5 तारीख तक विकासखण्ड स्तर पर प्रदाय की जाये। विकासखण्ड स्तर पर रिपोर्ट संकलन हेतु विकासखण्ड कार्यक्रम प्रबंधक एवं विकासखण्ड कम्यूनिटी मोबिलाइजर जवाबदेय होंगे।
- विकासखण्ड स्तर से रिपोर्ट प्रत्येक माह की 7 तारीख तक जिला स्तर पर तथा प्रत्येक माह की 10 तारीख तक जिले से राज्य स्तर पर प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें। जिला स्तर पर रिपोर्ट संकलन एवं संकलित रिपोर्ट राज्य स्तर पर प्रेषित करने हेतु जिला एम.एण्ड.ई अधिकारी, जिला कार्यक्रम प्रबंधक एवं जिला कम्यूनिटी मोबिलाइजर जवाबदेय होंगे।
- भारत सरकार एवं नीति आयोग द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर एनिमिया मुक्त भारत कार्यक्रम की निगरानी एच.एम.आई.एस के माध्यम से सतत की जा रही है। जिसके अंतर्गत मुख्यतः 6–59 माह के बच्चों एवं 5–10 वर्षीय बच्चों एवं 10–19 वर्षीय किशोरवयों में आई.एफ.ए. अनुपूरण संबंधी सूचकांक सम्मिलित है, अतः जिलों द्वारा “एनिमिया मुक्त भारत प्रतिवेदन प्रपत्र” (परिशिष्ट – 3) के अनुसार निर्धारित सूचकांकों के अंतर्गत आई.एफ.ए. अनुपूरण की सही व सटीक जानकारी का इन्द्राजीकरण जिला एच.एम.आई.एस.पोर्टल में प्रतिमाह इंद्राज करना सुनिश्चित किया जाये। जिला स्तर पर एच.एम.आई.एस. पोर्टल पर उक्त इन्द्राजीकरण हेतु जिला मोनिटरिंग एवं इवेल्यूवेशन अधिकारी जवाबदेय होंगे।
- आई.एफ.ए. अनुपूरण संबंधी सूचकांकों के सापेक्ष सही व सटीक इन्द्राजीकरण हेतु समस्त शासकीय/शासकीय अनुदान प्राप्त शालाओं एवं आंगनवाड़ी केन्द्रों से प्रतिमाह आई.एफ.ए. अनुपूरण की जानकारी आशा कार्यकर्ता द्वारा एकत्रित किया जाना एवं आशा सहयोगिनी द्वारा संकलित प्रपत्र को विकासखण्ड स्तर पर प्रेषित किया जाना अत्यंत महत्वपूर्ण है।
- एनिमिया मुक्त भारत रणनीति/निपी कार्यक्रम के अन्तर्गत आयरन अनुपूरण के उपरान्त किसी भी अप्रिय लक्षण के उपचार हेतु फस्ट एड किट में आवश्यक औषधियों का 1 किट जिसमें उल्टी, पेट दर्द, ओ.आर.एस. घोल के पैकेट, एन्टी एलर्जिक गोलियों के 5 पैकेट/10 X 10 Strip की व्यवस्था भी समस्त आंगनवाड़ी केन्द्रों में सेक्टर मेडिकल ऑफिसर/ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर द्वारा सुनिश्चित की जाये।
- जिला एवं विकासखण्ड स्तर पर गठित निपी विप्स एडवार्ड्जरी कमेटी द्वारा प्रतिमाह कलेक्टर की अध्यक्षता में समस्त स्टेकहोल्डर की उपस्थिति में कार्यक्रम की समीक्षा करते हुए सुधारात्मक कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।
- एनिमिया मुक्त भारत रणनीति/निपी कार्यक्रम के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु समस्त नोडल शिक्षकों, आशा एवं ऑगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को आई.एफ.ए. गोली के अनुपूरण, डोज, सावधानियों आदि के बारे में उन्मुख किया जाये। वार्षिक कार्ययोजना वर्ष 2019–20 में प्राथमिक/मिडिल/हाई एवं हायर सेकेण्डरी शालाओं के शिक्षकों, आशा एवं ऑगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के उन्मुखीकरण हेतु 1 दिवसीय प्रशिक्षण के

आयोजन हेतु स्वीकृति दी गई है। उक्त प्रशिक्षण राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस के पूर्व 15 जुलाई से 30 जुलाई तक आवश्यक रूप से पूर्ण किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

- औषधियों की निर्वाध उपलब्धता, आई.एफ.ए. अनुपूरण एवं समय-सीमा में रिपोर्टिंग हेतु समस्त ए.एन.एम. एवं आशा कार्यकर्ताओं को प्रतिमाह मासिक बैठकों में उन्मुख किया जाना सुनिश्चित किया जाये। साथ ही आशा द्वारा प्राप्त रिपोर्ट के संकलन हेतु आशा सहयोगिनीयों को प्रपत्र (परिशिष्ट - 2) विकासखंड स्तर से स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्रदान किये जाये।
- शालाओं हेतु रिपोर्टिंग प्रपत्र के रजिस्टर एवं स्टीकर्स, स्वास्थ्य विभाग द्वारा शासकीय/शासकीय अनुदान प्राप्त शालाओं में उपलब्ध कराये जाये।
- कार्यक्रम के क्रियान्वयन में संभाग एवं जिला स्तर पर पदस्थ डेवल्पमेन्ट पार्टनर्स, (यूनिसेफ, एन.आई. CHAI एवं डीवर्म द वर्ल्ड इनिशिएटिव) के प्रतिनिधियों का तकनीकी सहयोग लिया जाये।
- उपरोक्त दिशा-निर्देशानुसार जिले में एनिमिया मुक्त भारत कार्यक्रम/नेशनल आयरन प्लस इनिशिएटिव (NIPI) एवं साप्ताहिक आयरन फॉलिक एसिड अनुपूरण (WIFS) कार्यक्रम का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाये।

छवि भारद्वाज
मिशन संचालक
एन.एच.एम.

क्र./एन.एच.एम./CHN/2019

प्रतिलिपि :-

भोपाल, दिनांक / / 2019

1. प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, म.प्र।
2. प्रमुख सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, वल्लभ भवन, मध्यप्रदेश।
3. प्रमुख सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, वात्सल्य भवन, मध्यप्रदेश।
4. आयुक्त स्वास्थ्य, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, म.प्र।
5. अपर मिशन संचालक, एन.एच.एम. म.प्र।
6. उपसंचालक, आशा, एन.एच.एम., म.प्र।
7. उपसंचालक, आर.बी.एस.के, एन.एच.एम., म.प्र।
8. उपसंचालक, आर.के.एस.के, एन.एच.एम., म.प्र।
9. उपसंचालक, एन.बी.बी.डी.सी.पी, एन.एच.एम., म.प्र।
10. समस्त क्षेत्रीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं, म.प्र।
11. समस्त जिला टीकाकरण अधिकारी, म.प्र।
12. समस्त जिला कार्यक्रम प्रबंधक, एन.एच.एम., म.प्र।

13. राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम समन्वयक, शहडोल, मण्डला, छतरपुर, बड़वानी, सतना, पन्ना, डिन्डौरी, झाबुआ, उमारिया, सिंगरौली, अलीराजपुर, मध्यप्रदेश।
14. पोषण विशेषज्ञ, यूनिसेफ, मध्यप्रदेश।
15. राज्य कार्यक्रम प्रबंधक, न्यूट्रीशन इन्टरनेशनल, मध्यप्रदेश।
16. राज्य कार्यक्रम प्रबंधक CHAI मध्यप्रदेश।
17. राज्य कार्यक्रम प्रबंधक, डीवर्म द वर्ल्ड इनिशिएटिव, मध्यप्रदेश।
18. समस्त जिला कम्यूनिटि मोबिलाइजर, एन.एच.एम., म.प्र।
19. समस्त खण्ड चिकित्सा अधिकारी, एन.एच.एम., म.प्र।
20. समस्त खण्ड कम्यूनिटि मोबिलाइजर, आशा प्रकोष्ठ, एन.एच.एम., म.प्र।

मिशन संचालक
एन.एच.एम.